संख्या– 20-A /XVI-2/09/7(41)/08

प्रेषक,

जी0एस0पाण्डे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई,
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 13 फरवरी,2009

विषयः–वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत भेषज विकास इकाई के आयोजनेत्तर पक्ष की योजना 0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से रू0–4.59 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–1932/लेखा/पुनर्विनियोग/2008–09,दिनांक–06 जनवरी, 2009 के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है,कि वर्तमान वित्तीय वर्ष–2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजना 0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना के उप मानक मदों 16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान तथा 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के दृष्टिगत संगत योजना के ही उपमानक मदों 02–मजदूरी,13–टेलीफोन व्यय, 29–अनुरक्षण व्यय तथा 45–अवकाश यात्रा व्यय, में उपलब्ध बचतों से संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0–15 के अनुसार रू0–4,59,000.00 (रू0 चार लाख उनसठ हजार मात्र) का पुनर्विनियोग करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा। धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–267/ XXVII(1)/2008, दिनांक–27 मार्च, 2008 में दिये गये दिशा– निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का कय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(4) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

......2/–

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

(7) व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा धनराशि का आहरण/व्यय एकमुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनेत्तर–119–बागवानी और सब्जियों की फसलें–03–औद्यानिक विकास 0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना के उपमानक मद 16–व्यायसायिक एवं विशेष सेवाओं हेतु भुगतान एवं 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण मद के नामें डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र बी0एम0–15 के कालम–01 की बचतों से वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश विभाग के अशासकीय संख्या–239(NP)/XXVII–4/2008,दिनांक–10 फरवरी,2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नकः–यथोपरि,

भवदीय,

(जी0एस0पाण्डे)
अपर सचिव।

संख्या–20-A/XVI-2/09/7(41)/08,तददिनांकितः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबराय मोटर्स,बिल्डिंग माजरा,देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र,सचिवालय परिसर,देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0पाण्डे)
अपर सचिव।

बी0एम0–15

पुर्नर्विनियोग 2008–09, अनुदान संख्या–29 (आयोजनेत्तर से आयोजनेत्तर)

नियंत्रक अधिकारी–मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, देहरादून उत्तराखण्ड

प्रशासनिक विभाग–उद्यान एवं रेशम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(धनराशि रूपये हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक विवरण		मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि का स्थानान्तरण होना है।		पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुर्नविनियोग के बाद स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1		2	3	4	5		6	7	8
2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें,03–औद्यानिक विकास–0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना					2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत–03 औद्यानिक विकास 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना				(क) संगत मद में प्राविधानित धनराशि आवश्यकता से अधिक होने के कारण इसमें से पुर्नवि0 किया जा रहा है।
02–मजदूरी–	100	–	–	100	16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिये भुगतान–	409	909	00	
13–टेलीफोन व्यय	350	72	28	250				100	
29–अनुरक्षण व्यय	25	–	16	09	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण –	50	550	16	(ख) बचतों की उपलब्धता एवं आवश्यकता होने के कारण।
45–अवकाश यात्रा व्यय–	100	–	–	100				00	
योग :–	575	72	44	459(क)		459(ख)	1459	116	

पुर्नविनियोग की संस्तुति की जाती है,तथा प्रमाणित किया जाता है,कि बजट मैनुवल के परिच्छेद 150,151,155,156, में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो रहा है।

(जी0एस0 पाण्डे)
अपर सचिव।

-2/-

उत्तराखण्ड शासन
वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4
संख्या–231 (NP)(1)/वि0अनु0–4/09
देहरादूनः दिनांक– 10 फरवरी,2009

पुनर्विनियोग स्वीकृत

सेवा में,

महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग।
सहारनपुर रोड,देहरादून।

एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव(वित्त)

संख्या–20A/XVI-2/09/7 (41)/08,तद्दिनांकित। 13-2-09
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड ।
2– वरिष्ठ,कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भेषज विकास इकाई, देहरादून उत्तराखण्ड।
5– गार्ड फाइल।

(जी0एस0पाण्डे)
अपर सचिव।